



सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

प्रलिमिंस के लिये:

सहकारी क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), कृषि अवसंरचना कोष (AIF), न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), भारतीय खाद्य नगिम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS)

मेन्स के लिये:

कृषि क्षेत्र में विकास के लिये सरकारी योजनाएँ, खाद्य सुरक्षा

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर प्रकाश डाला।

- इस पहल का उद्देश्य देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में नरिंतर कमी का समाधान करना है।

सहकारिता के क्षेत्र में अन्न भंडारण योजना क्या है?

- व्यापक बुनियादी ढाँचे का निर्माण:
 - इस परियोजना में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (Primary Agricultural Cooperative Societies- PACS) के स्तर पर विभिन्न कृषि संबंधी बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरगि सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं।
 - यह भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के एकीकरण, जिसके अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund- AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (Agricultural Marketing Infrastructure Scheme- AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मशिन (Sub Mission on Agricultural Mechanization- SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme- PMFME), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana- PMKSY) और एकीकृत बागवानी विकास मशिन (Mission for Integrated Development of Horticulture- MIDH) जैसी योजनाएँ शामिल हैं, के व्यापक विकास के लिये एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।
- कार्यान्वयन साझेदार और प्रगतः:
 - राष्ट्रीय सहकारी विकास नगिम (National Cooperative Development Corporation- NCDC) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD), भारतीय खाद्य नगिम (Food Corporation of India- FCI) आदि के सहयोग से विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रायोगिक परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।
 - 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13 PACS में निर्माण कार्य शुरू हो गया है, प्रायोगिक परियोजनाओं में शामिल करने के लिये 1,711 PACS की पहचान की गई है।
- कार्यान्वयन के नरििक्षण के लिये समितियाँ:
 - सहकारिता मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (Inter-Ministerial Committee- IMC) का गठन किया है, जिसके पास योजनाओं के एकीकरण के लिये दिशा-नरिदेश जारी करने तथा कार्यप्रणाली को अंगीकृत करने का अधिकार है।
 - इसके अतिरिक्त संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों के सदस्यों के साथ एक राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति (National Level Coordination Committee- NLCC) को इस योजना के कार्यान्वयन और प्रगतः की नगरानी का कार्यभार सौंपा गया है।
 - इसके अलावा प्रभावी समन्वय तथा कार्यान्वयन सुनश्चित करने के लिये राज्य और ज़िला स्तर पर राज्य एवं ज़िला सहकारी विकास समितियाँ (State and District Cooperative Development Committees- SCDC and DCDC) का गठन किया गया है।
- किसानों पर प्रभाव:

- गोदामों की स्थापना का कार्य PACS द्वारा किया जाएगा, जिससे फसल की उपज का भंडारण करने तथा बाद के फसल चक्रों के लिये लघुकालिक वित्तीयन तक पहुँच की कसिनों की क्षमता वकिसति होगी ।
 - कसिनों के लिये **सही समय पर उपज के वकिरय अथवा पूरी फसल को न्यूनतम समरथन मूल्य (MSP) पर PACS को बेचने का वकिलप उपलब्ध** हो सकेगा, जिससे तात्कालिक बकिरी को नयितरति कयिा जा सकेगा ।
 - PACS स्तर पर वकिंदरीकृत भंडारण क्षमता की सहायता से **फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद मलिती** है, जिससे यह सुनश्चिति होता है क कसिन अपनी उपज की गुणवत्ता के साथ अपनी अधकितम आय पूरापूत कर सकते हैं ।
 - खरीद केंद्रों और उचति मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में कार्य करने वाले **PACS खाद्यान्न की परविहन लागत में बचत करने में योगदान देते हैं ।**
- यह योजना स्थानीय पंचायत या ग्राम स्तर पर **वभिन्न कृषि आदानों और सेवाओं की उपलब्धता** सुनश्चिति करती है, जिससे दूर स्थति खरीद केंद्रों पर नरिभरता कम हो जाती है ।
- कसिनों को आय के अतरिकित स्रोतों का पता लगाने के लयिपारंपरिक कृषि गतविधियों से परे अपने व्यवसायों में वविधिता लाने हेतु **सशक्त** बनाया गया है ।
- यह योजना भंडारण क्षमता को बढ़ाकर और बरबादी को कम करके अधकि सुदृढ़ एवं वशिवसनीय **खाद्य आपूर्ति शृंखला** सुनश्चिति कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है ।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS):

- PACS राज्य स्तर पर **राज्य सहकारी बैंकों (SCB)** की अधयक्षता में अल्पकालिक सहकारी ऋण अवसंरचना की ज़मीनी स्तर की शाखाएँ हैं ।
- PACS सीधे ग्रामीण (कृषि) उधारकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें ऋण देते हैं, दयि गए ऋणों का पुनर्भुगतान एकतर करते हैं और वतिरण एवं वपिणन कार्य भी करते हैं ।

खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिये कृषि मंत्रालय द्वारा क्या पहलें की गई हैं?

- **कृषि अवसंरचना कोष (AIF):**
- AIF प्रोत्साहन और वतितीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनयिादी ढाँचे एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के नरिमाण की परकिलपना करता है ।
- इसमें 7 वर्षों के लिये प्रतपरियोजना स्थान पर 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज छूट और यदपरियोजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लयि क्रेडिट गारंटी फंड टरस्ट (CGTMSE) योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर है, तो क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतपूरता शामिल है ।
- **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA):**
 - PM-AASHA/पीएम-आशा का लक्ष्य अधसूचिति तलिहन, दालों और कोपरा (बारहमासी फसल) की उपज के लयि कसिनों को न्यूनतम समरथन मूल्य (MSP) प्रदान करना है ।
 - इसमें मूल्य समरथन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और नजिी खरीद तथा स्टॉकसिट योजना (PPSS) शामिल है
 - मूल्य समरथन योजना (PSS):
 - इसे संबंघति राज्य सरकार के अनुरोध पर लागू कयिा गया ।
 - दालों, तलिहनों और कोपरा की खरीद को मंडी कर से छूट दी गई है ।
 - जब कीमतें MSP से नीचे गरि जाती हैं तो केंद्रीय नोडल एजेंसियों MSP पर पूर्व-पंजीकृत कसिनों से सीधे खरीद करती हैं ।
 - मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS):
 - इसमें MSP और बकिरी/मॉडल मूल्य के बीच अंतर का सीधा भुगतान शामिल है ।
 - अधसूचिति बाज़ार यार्डों में पूर्व-पंजीकृत कसिन जो उचति औसत गुणवत्ता (FAQ) मानकों को पूरा करते हुए तलिहन बेचते हैं, उन्हें पारदर्शी नीलामी प्रक्रयिा का लाभ मलितता है ।
 - नजिी खरीद और स्टॉकसिट योजना (PPSS):
 - राज्यों के पास तलिहन खरीद के लयि PPSS लागू करने का वकिलप है ।
 - चयनति ज़िलों या APMC में पूर्व-पंजीकृत कसिनों से प्रायोगिकि आधार पर खरीद की जाती है ।
- **बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS):**
 - MIS में उन कृषि तथा बागवानी वस्तुओं की खरीद शामिल है जो जलदी खराब हो जाती हैं एवं जनिके लयि MSP की घोषणा नहीं की जाती है, ताक इन वस्तुओं के उत्पादकों को अधशिष/अधकि फसल की स्थति में बहुत कम मूल्य पर आकस्मिकि बकिरी करने से बचाया जा सके, जब कीमतें आर्थिकि स्तर/उत्पादन लागत से नीचे गरि जाती हैं ।
- **भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL):**
 - बहु-राज्य सहकारी समिति अधनियिम, 2002 के तहत BBSSL को एक ही ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन तथा वतिरण के लयि एक व्यापक (अम्बरेला) संगठन के रूप में स्थापति कयिा गया है ।
 - यह समिति कसिनों के लयि उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाएगी, इससे कसिनों की आय बढ़ेगी ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिस:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2020)

1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण परदान करने के संदर्भ में ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं।

2. DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषिसाख समितियों को नधि उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (B)

प्रश्न. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2021)

1. उनका पर्यवेक्षण और वनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है।

2. वे इक्वटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।

3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग वनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समितियों को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को कनि बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का कसि प्रकार उपयोग किया जा सकता है?" (2014)